यालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु0न0 22/2016

स्टेट

बनाम मांगीखां s/o बलूखां कलाल सा० कालायर

सा0 कालायर तह. रावतसर

निर्णय दिनांक 29/11/2016

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी कालिया ने रिपोर्ट की है कि खसरा न0 340 रकबा 2.339 है० गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज परफसल खरीफ 2073 में नाजायज काश्त की है।

रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन,मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अमिक्रमी है। इस लिये उपनिवेशक अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का 50 गुणा तावान 240 रु रूपये दो सौ चालीस रूपया मात्र कायम किया जाता हैं।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी0आर0ए0 को लिखा जावें तथा भू–राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षैत्र में बोई गई फसल की निलामी कर,निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावें कि अतिक्रमित क्षैत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक 29/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमान महोदय
सत्य प्रतिलिपि
...-17 ...
वित्तीय वर्ष 2017-18
में भावी ... माना
...
...
[signature]

उप पंजीयक

पल्ल